





न्यायालय, भूमि सुधार, उप समाहर्ता, सिमडेगा  
अनुमति वाद सं० 224/18-19



श्री नमन लकड़ा ..... आवेदक

बनाम

झारखण्ड सरकार..... विपक्षी

आदेश

28/11/18

आवेदक श्री नमन लकड़ा, पिता स्व० सुरेश लकड़ा, ग्राम-सिमडेगा घोचोटोली थाना-सिमडेगा जिला-सिमडेगा ने निम्नांकित भूमि को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत बिक्री हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन-पत्र दायर किये हैं।

भूमि विवरण:-

मौजा	थाना	थाना न०	खाता न०	प्लॉट न०	रकबा
सिमडेगा	सिमडेगा	116	102	707	7.79 ए० में से 0.10 ए०

कुल रकबा (शब्दों में) दस डिसमील मात्र।

आवेदक अपनी खतियानी जमीन को मकान बनाने हेतु प्रस्तावित क्रेता- सुश्री सलीमा तिकी, पिता श्री सुबास तिकी, ग्राम-सेवई जुमराटोली, थाना-सिमडेगा जिला-सिमडेगा (जाति उराँव) को बिक्री कर रहे हैं। आम सूचना निर्गत की गई। आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है, जो अभिलेख में संलग्न है। किसी के द्वारा कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है।

अंचल अधिकारी सिमडेगा के पत्रांक 113 दिनांक 16.08.2018 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन एवं आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है। प्रस्तावित भूमि आवेदक की खतियानी भूमि है। प्रस्तावित भूमि के खतियानी रैयत मधीया उराँव वो कोन्दा उराँव वो कोका उराँव पेशरान तुरीआ उराँव हैं। वर्तमान जमाबंदीदार खाता सं० 102 सैहुन उराँव वगै० के नाम दर्ज हैं। मालगुजारी पंजी II रैयत द्वारा दिया जाता है। बिक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जनजाति उराँव जाति के सदस्य हैं तथा एक ही थाना क्षेत्र के निवासी हैं। प्रस्तावित भूमि की बिक्री के पश्चात आवेदक के पास 4.12 एकड़ भूमि बचता है।

भूमि स्वामित्व से संबंधित कागजात में खतियान एवं लगान रसीद की छाया प्रति प्रस्तुत है, जो अभिलेख में संलग्न है। क्रेता की ओर से स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र सं० जे०एच०आर०सी०/2017/470504 दिनांक 12.05.2017 की छाया प्रति तथा जमीन का चौहदी प्रस्तुत किया है, जो अभिलेख में संलग्न है।

आवेदक ने अपने बयान में कहा है कि मैं मौजा-सिमडेगा थाना न०-116 थाना-सिमडेगा के अन्तर्गत खाता न०-102, प्लॉट संख्या-707, रकबा 7.79 ए० में से 0.10 ए० जमीन को मकान बनाने के लिये क्रेता सुश्री सलीमा तिकी, पिता श्री सुबास तिकी, ग्राम-सेवई जुमराटोली, थाना-सिमडेगा जिला-सिमडेगा को मो० 5,20,000.00 रु० (शब्दों में) पांच लाख बीस हजार रूपये मात्र में अपने राजी-खुशी से बिक्री कर रहा हूँ। यह मेरी खतियानी भूमि है। उक्त जमीन बिक्री करने के बाद मेरे पास 4.12 एकड़ जमीन बचती है। बिक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जनजाति उराँव जाति के सदस्य हैं तथा एक ही थाना क्षेत्र के निवासी हैं।

दिनांक 28.11.2018  
विपक्षी

रकबा 7.79 ए० में से 0.10 ए०  
सिमडेगा





अंचल अधिकारी, सिमडेगा के जाँच प्रतिवेदन एवं आवेदक के बयान के आधार पर मौजा- सिमडेगा थाना न0-116 थाना-सिमडेगा के अन्तर्गत खाता न0-102, प्लॉट संख्या- 707, रकबा 7.79 ए0 में से 0.10 एकड. जमीन को आवेदक श्री नमन लकड़ा, पिता स्व0 सुरेश लकड़ा, ग्राम-सिमडेगा घोचोटोली थाना-सिमडेगा जिला-सिमडेगा द्वारा केंता- सुश्री सलीमा तिकी, पिता श्री सुबास तिकी, ग्राम-सेवई जुमराटोली, थाना-सिमडेगा जिला-सिमडेगा को स्थानीय बाजार दर के अनुसार छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत भूमि बिक्री करने की ..... दी जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उप समाहर्ता  
सिमडेगा।

भूमि सुधार उप समाहर्ता  
सिमडेगा।

पुनश्च: तालिका तीन प्रतियों में तैयार करें। मूल प्रति आवेदक को तथा एक प्रति जिला निबंधन पदाधिकारी सिमडेगा को भेजें।

भूमि सुधार उप समाहर्ता  
सिमडेगा।

आवेदन पत्र का मूल्य .....  
 अधिधिकृत व्यय .....  
 प्रत्येक प्रतिका व्यय .....  
 प्रत्येक प्रतिका व्यय .....  
 अतिरिक्त व्यय .....

P = 5 = 00  
 F 2000  
 AF 8 = 00  
 योग 13 = 00  
 रुम अरु रूप्य मोटा /



मंडलाध्यक्ष  
 13  
 23-11-2018

सहायक  
 23/11/18

30/11/18  
 प्रधान लिपिक

Received Schedule  
 Jajury (am) Naks  
 Lekr. 9/11/18



# कार्यालय, अंचल अधिकारी, सिमडेगा

5

सेवा में,  
अनुमंडल पदाधिकारी, सिमडेगा/ भूमि सुधार उपसमाहर्ता सिमडेगा।

पत्रांक ..... 113 .....  
दिनांक ..... 16.8.18 .....

विषय :- छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम धारा 46 के अन्तर्गत जमीन हस्तान्तरण की अनुमति के संबंध में जाँच प्रतिवेदन।



प्रसंग :- अनुमति वाद संख्या 224 सन् 18/19

## 1. विक्रेता के संबंध में प्रपत्र

- 9) क - आवेदक (हस्तान्तरण कर्ता) का नाम : श्री नमन लकड़ा  
पिता का नाम/पूरा पता : श्री स्वर्ण सुखेश लकड़ा, ग्राम-सिमडेगा, पोस्ट-धानावे, जिला-सिमडेगा  
ख - जाति : ईश्वर
- 2) खतियानी रैयतों का नाम एवं आवेदक के साथ संबंध : मध्या ईश्वर केन्द्रा ईश्वर केन्द्रा ईश्वर फेरान-तुरीआ ईश्वर
- 3) जमीनदारी विलियन के पश्चात उक्त जमीन की जमाबन्दी संख्या तथा जमाबन्दी दार का नाम : - 102, तैय्य
- 4) वर्तमान जमाबन्दी संख्या / जमाबन्दी दार का नाम : - 102, शैलुन ईश्वर कोरह
- 5) वर्तमान जमाबन्दीदार को किस प्रकार भूमि हासिल हुआ : - स्वामित्व
- 6) जमीन की मालगुजारी देने वाले रैयत का नाम : - राजी रैयत के केशव
- 7) आवेदक तथा उक्त रैयत का सम्बन्ध : - केशव, तुरीआ ईश्वर
- 8) उक्त जमीन के कितने हिस्सेदार हैं तथा आवेदक का उक्त जमीन में वास्तविक हिस्सा स्वामित्व एवं दखल कब्जा : - 1/2  

मध्या ईश्वर ईश्वर	केशव ईश्वर ईश्वर	केशव ईश्वर (नाम)
पार्लेव	शैलुन ईश्वर	नमन लकड़ा (नाम)
- 9) क्या आवेदक बड़े भू धारी के अथवा बड़े भूधारी के वंशज हैं, जिनके विरुद्ध लैण्ड शिलिंग का केश है : - नहीं, जमाय जगमल के पुरेन (नाम)
- 10) क- क्या उक्त जमीन भूदान की है : - नहीं, ग्राम  
ख- लैण्ड सिंलिंग के किसी वाद में सम्मिलित हैं : - नहीं, पुरेन पार्लेव लैलव पुरेन प्रशांत
- 99) जमीन बेचने का आवश्यकता एवं औचित्य : - अज्ञान निर्मात्र हेतु
- 92) जमीन का किस्म एवं ब्योरा : ग्राम/थाना सं०- सिमडेगा 116, खाता सं०- 102, प्लॉट सं०- 707, रकबा - किस्म 0.10 एर, शायद
- 93) जमीन का मूल्य जो अगल-बगल की उक्त किस्म जमीन बिक्री के अनुसार हो : - @ 52,000/- 6. प्रमिडी
- 94) जमीन का वर्तमान मूल्य : - 5,20,000/- 6.
- 95) विक्रेता के हिस्से की कुल उपलब्ध भूमि : - 4.22 एर
- 96) बिक्री के बाद शेष भूमि : - 4.12 एर

सिद्धांत  
23.11.2018  
सिमडेगा

सिद्धांत  
23.11.2018  
सिमडेगा





( २ )

## 2. क्रेता के सम्बन्ध में

१) क - क्रेता का नाम / पिता का नाम  
घर का पूरा पता

:- सुनी सुनीम लिंग पिता श्री युवाय लिंग  
:- ग्राम - खैरुलुमरावली, थाना वी जिला - सिमडेगा

ख - जाति

:- धर्म ।

२) क्या क्रेता उसी ग्राम के निवासी हैं ?

:- नही थाय क्षेत्र के हैं।

३) जमीन खरीदने का कारण / आवश्यकता

:- आवासीय प्रयोजनार्थ ।

४) क्या उसके पिता या दादों के नाम से लैण्ड  
सिलिंग का वाद चला है

:- नही।

५) उनके पास तथा उनके परिवार के सभी सदस्यों के  
पास कुल जमीन कितनी है

:- २.१९५० लगभग ।

६) यदि कोई शैक्षणिक या अन्य संस्था है तो उसका ब्योरा

:- CO. SEM

७) उक्त शैक्षणिक संस्था या अन्य संस्था का अतिरिक्त  
जमीन क्रय करने की आवश्यकता/उद्देश्य औचित्य

:- एल्का कर्म के जॉन्स-प्रविक्रम के  
आधार पर CNT Act के Sec 46 के  
अन्तर्गत विधिमान्य होना

८) उक्त शैक्षणिक या अन्य संस्था के कुल धारित जमीन  
की रकबा ब्योरा

:- ४००० वर्ग फीट की जा सकती है

९) जिला शिक्षा पदाधिकारी की अनुशंसा कि शैक्षणिक संस्था  
के पास कुल कितनी जमीन है और अतिरिक्त कितनी  
जमीन उद्देश्य हेतु आवश्यकता है

:- ४००० वर्ग फीट

*Handwritten signature*

१०) अभियुक्ति

:- शिवेन्द्र शर्मा के विक्रेता सुनिवानी एवं जम  
वकी रैण्ड के कर्जा के हिसाब से हैं। उभयपक्ष ए  
ही थाना क्षेत्र एवं जिला-सिमडेगा के हैं। उक्त  
प्रकार विक्रेता के पास ५.१२५० भूमि क्षेत्रवकी है  
आता जॉन्स प्रविक्रम सूचनाधि जनप्रसारित ।



*Handwritten signature*  
HNO

V.O.S  
L.R.D.C  
Simdega

*Handwritten signature*  
अधीक्षक  
सिमडेगा...

भदेलिपि कता  
१३.११.२०१८  
१३/११/१८